

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.नि. 179(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 2021 के नियम 9 के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रेणी विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पात्रता की शर्तें.**— रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का कोई ऐसा नियमित अधिकारी जिसने चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई को प्रधान निजी सचिव की श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की है, पात्र होगा।

3. **रिक्ति का अवधारण.-** चयन सूची वर्ष की नियमित रिक्तियां, नियमों के अनुसार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अवधारित की जाएंगी और यदि चयन एक से अधिक चयन सूची वर्ष के लिए किया जाना है तो रिक्तियां प्रत्येक चयन सूची वर्ष के लिए अवधारित की जाएंगी।
4. **चयन क्षेत्र-** अवधारित रिक्तियों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों का चयन क्षेत्र रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
5. **विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन -**(1) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इनके द्वारा नामनिर्देशित रेलवे बोर्ड के दो अन्य सदस्य होंगे।
(2) विभागीय प्रोन्नति समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुसरण करेगी।
6. **पैनल को तैयार करना –** (1) विभागीय प्रोन्नति समिति, उपर्युक्त विनियम 3 में यथा अवधारित रिक्तियों पर चयन के लिए सामान्यतया प्रत्येक वर्ष बैठक करेगी।
(2) विभागीय प्रोन्नति समिति चयनित अधिकारियों के नामों के निम्नतर श्रेणी में नियत की गई उनकी ज्येष्ठता के क्रम में एक पैनल की सिफारिश करेगी:
परंतु भिन्न-भिन्न चयन सूची वर्ष की रिक्तियों के लिए पृथक पैनल तैयार किए जाएंगे और यदि किसी चयन सूची वर्ष की रिक्तियों के लिए चयन एक से अधिक अवसर पर किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक अवसर पर एक पैनल (भाग) तैयार किया जाएगा।
(3) किसी चयन सूची वर्ष की ऐसी रिक्तियां जो उपयुक्त या पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकी हैं, अगले चयन सूची वर्ष अग्रणीत कर दी जाएंगी और प्रथम चयन सूची वर्ष के लिए चयन प्रक्रिया को पूर्ण हुआ समझा जाएगा।
7. **ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रेणी में नियुक्तियां.-** (1) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव की श्रेणी में नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्रम में की जाएंगी जिसमें तत्समय प्रवृत्त विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल या पैनल (भाग) में अधिकारियों के नाम दर्शाए गए हैं।
(2) पैनल या पैनलों (भाग) में सम्मिलित किया जाना, उस श्रेणी में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जो केवल नियमित रिक्ति की उपलब्धता पर किया जाएगा।
8. **पैनल से नाम को हटाया जाना.-** रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा दिए जाएंगे:-
(क) प्रधान कर्मचारिवृंद अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी;
(ख) किसी अन्य सेवा या पदों पर स्थानांतरित अधिकारी;
(ग) ऐसे अधिकारी जिनकी मृत्यु हो गई है, सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं या अन्यथा जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

[सं. ईआरबी-I/2013/11/4]

एस. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (राजपत्रित)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

G.S.R. 179(E).—In pursuance of rule 9 of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Rules, 2021, the Central Government in the Ministry of Railways hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Senior Principal Private Secretary Grade Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Conditions of eligibility.**— Any regular officer of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service, who on the 1st July of the select list year has rendered not less than five years' of approved service in the grade of Principal Private Secretary, shall be eligible.
3. **Determination of vacancy.**— Regular vacancies for a select list year shall be determined by the Ministry of Railways (Railway Board) as per rules and, if the selection is to be made for more than one select list year, vacancies shall be determined separately for each select list year.
4. **Field of selection.**— In accordance with the vacancies determined, a field of selection of eligible officials shall be fixed by the Central Government in the Ministry of Railways (Railway Board).
5. **Constitution of Departmental Promotion Committee.**— (1) The composition of the Departmental Promotion Committee to consider the cases of eligible officers for appointment to the post of Senior Principal Private Secretary and to make suitable recommendations, shall comprise Chairman, Railway Board and Chief Executive Officer and two other Members of Railway Board as nominated by Chairman, Railway Board and Chief Executive Officer.
(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government from time to time.
6. **Preparation of panels.**— (1) The Departmental Promotion Committee shall normally meet every year for selection against vacancies as determined in regulation 3 above.
(2) The Departmental Promotion Committee will recommend a panel of names of selected officers assigned in the order of their seniority in the lower grade:
Provided that separate panels will be prepared for vacancies of different select list year and if selection for vacancies of any select list year is made on more than one occasion, on every such occasion a panel (part) will be prepared.
(3) Vacancy for a select list year which may not be filled up, due to non-availability of suitable or eligible officers shall be carried forward to the next select list year and the selection process for the first select list year shall be deemed to have been completed.
7. **Appointments to the Senior Principal Private Secretary grade.**— (1) Appointments to the Senior Principal Private Secretary grade shall be made by the appointing authority in the order in which the names of the officers appear in the panel or panel (part) prepared by the Departmental Promotion Committee for the time being in force.
(2) Inclusion in the panel or panel (part) shall not confer any right to appointment to the grade, which will be made only upon availability of regular vacancy.
8. **Removal of name from the select list.**— The names of the persons of the following categories shall be removed by the Ministry of Railways (Railway Board) from the select list:-
(a) Officers appointed as Principal Staff Officer;
(b) Officers transferred to any other service or posts;
(c) Officers, who die, retire from service or whose services are otherwise terminated.

[No. ERB-I/2013/11/4]

S. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Gazetted)